

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 मार्च 2014—चैत्र 1, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2014

मध्यप्रदेश चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2014

क्रमांक.F-5-300/2013/1/55 राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी तथा एम.एस.) पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
 - क. इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2014" है ।
 - ख. ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए प्रवृत्त रहेंगे ।
2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
 - (क) AIPGMEE से अभिप्रेत है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिकल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, 2014
 - (ख) AIPGDEE से अभिप्रेत है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट डेंटल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, 2014
- (ग) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय;

- (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2014 (AIPGMEE-2014) / ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट डेंटल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2014 (AIPGDEE-2014)
- (ङ) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित शासकीय / राज्य अथवा जिला स्वास्थ्य समिति में संविदा सेवा कर रहे हों,
- (च) प्रदर्शक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी संस्था में कार्यरत प्रदर्शक ।
- (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ज) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है म.प्र.शासन के नगर निगम क्षेत्र तथा नगर-पालिका परिषद क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र
- (झ) "अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है म०प्र० राज्य में अधिसूचित 89 आदिवासी उपयोजना के विकास खण्डों में स्थित कोई भी क्षेत्र ।
- (त्र) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां;
- (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां;
- (ठ) "श्रेणी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी ।
- (ड) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है विकलांग (पी.एच.) (जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय द्वार विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित हैं) एवं महिलाएं ।
- (ढ) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन द्वारा आयोजित AIPGMEE, 2014 एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स द्वारा आयोजित AIPGDEE-2014 की प्री०पी०जी० प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर सीट आवंटित की गई है ।
- (ण) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन
- (प) "जनजाति क्षेत्र" से अभिप्रेत है जनजाति उप योजना के अधीन क्षेत्र;
- (फ) "एम.सी.आई." से अभिप्रेत है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया;
- (ब) "डी.सी.आई." से अभिप्रेत है डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया ।

3. सामान्य—

- (1) स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एम.सी.आई./डी.सी.आई./ विश्वविद्यालय/राज्य शासन/भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के दौरान समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होगी ।
- (2) प्रवेश की तारीख से, उपाधि की दशा में, तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम एवं पत्रोपाधि की दशा में, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
- (3) जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। सभी पात्र उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा । काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है । स्कूटनी फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को सीट आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा AIPGMEE-2014 / AIPGDEE-2014 को प्रेषित किये गये ऑनलाईन पंजीयन अर्थात् आवेदन-पत्र के साथ जो फोटो संलग्न किये हैं वही फोटो की 30 प्रतियां काउंसिलिंग एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित होंगे । उन्हीं फोटोग्राफ का उपयोग स्कूटनी, प्रवेश एवं चिकित्सा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में किया जाएगा ।

फोटो हेतु स्पेसीफिकेशन -

- अभ्यर्थी के फोटो का न्यूनतम आकार 35 X 45 मिलीमीटर हो, जिसमें चेहरा और सिर का लगभग 75 प्रतिशत भाग दिखाई दे ।
 - फोटोग्राफ पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटोग्राफ लेने का दिनांक फोटो के नीचे अंकित होना अनिवार्य होगा ।
 - फोटोग्राफ का बैकग्राउण्ड सफेद अथवा हल्के रंग में होना चाहिये ।
 - फोटोग्राफ में सामने का पूरा चेहरा स्पष्ट होना चाहिये तथा अभ्यर्थी को कैमरे की तरफ देखते हुए सामान्य भाव रखना चाहिये ।
 - फोटोग्राफ में छांव या रिफ्लेक्शन या लाल आंख नहीं होनी चाहिये ।
 - फोटोग्राफ उच्च श्रेणी के कागज जिसमें कम से कम 600 डीपीआई रिसोल्यूशन होना चाहिये ।
 - फोटोग्राफ प्राकृतिक स्वरूप में होना चाहिये तथा रिकन प्राकृतिक कलर में होना चाहिये ।
 - फोटोग्राफ पर तोडमोड या स्केच या अन्य निशान नहीं होना चाहिये ।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी के समय मांगी गई जानकारी सही-सही दी जाये । प्रवेश परीक्षा, स्कूटनी एवं प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक समान हस्ताक्षर करेंगे । हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।
- (6) यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने प्रवेश परीक्षा फार्म में/प्रवेश के समय/सीट आवंटन के समय/प्रवेश के बाद किसी भी समय, अभिलेखों की छानबीन के समय कोई सुसंगत तथ्य छिपाए हैं और/या गलत जानकारी दी है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जायेगा एवं एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जा सकेगी ।
4. (1) प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत अभ्यर्थी/प्रदर्शक भी सम्मिलित है) :-
- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)
- (ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,
- (ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण शिक्षण अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना केवल 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाणपत्र, अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5/123/2013/1/55 भोपाल दिनांक 03.06.2013 के आदेशानुसार । (परिशिष्ट--)
- (2) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572 /03/पचपन/चिशि-1, दिनांक 14.01.04 के अनुसार पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश लेने की पात्रता होगी । बीमारी का प्रमाणपत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । यह अवकाश प्रतिवर्ष लिया जा सकेगा तथापि इसे किसी भी परिस्थिति में अन्य वर्षों के साथ संचय नहीं किया जा सकेगा । अवकाश पर जाने की सूचना संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधिष्ठाता कार्यालय को देना होगी ।
5. दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सम्मिलित है । अनाधिकृत रूप से एवं बगैर सूचना के निरंतर 30 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा । इस अनुपस्थिति अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा ।
6. भारतीय चिकित्सा परिषद, (एम.सी.आई.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सीटों का विषयवार, पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार समस्त स्नातकोत्तर उपाधि एवं पत्रोपाधि स्थानों (सीटों) की जानकारी काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराई जाएगी ।
7. आरक्षण:- मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए (शासन के तत्समय प्रचलित निर्धारित नियमानुसार क्रीमिलेयर को छोड़कर) 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे ।

- (1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक श्रेणी में योग्यता (मेरिट)-सह-विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हो उन्हें आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से विहित पत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है, अन्यथा प्रमाणपत्र मान्य नहीं किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे विकलांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, के लिए तीन प्रतिशत स्थान 3% (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक-4828/09 में पारित निर्णय दिनांक 29/08/2009 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- एम.सी.आई. के निर्देशानुसार क्रमांक सं.भा.आ.प.-34 (41) 2008-मेडि/54469 दिनांक 25 मार्च, 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत से कम तक के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जाएंगे।
- उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटों) संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों से ही भरी जायेंगी।
- इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडीकल बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाणपत्र, दोनो ही अनिवार्यतः, प्रस्तुत करना होगा। अभिलेख सत्यापन (स्कूटनी) के समय दोनो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में सीट आवंटन एवं प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पात्रता प्रमाण-पत्र की तिथि काउंसलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होनेकी तिथि से तीन माह से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए।
- रजिस्ट्रेशन एवं स्कूटनी के पश्चात् विकलांगता के प्रतिशत 50 से 70 विकलांगता तथा 40 से 50 प्रतिशत से कम विकलांगता के आधार पर संचालक चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन उपरांत अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पर विकलांग कोटे की सीटों का आवंटन किया जावेगा। दो अभ्यर्थियों में समान अंक होने की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु में वरियता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
- एम.सी.आई. द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग प्रवर्ग में पात्रता नहीं होगी :-

- (1) हाथ/हाथों से विकलांग
- (2) दृष्टि से विकलांग
- (3) बहरापन
- (4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

- (4) यदि आरक्षण के पात्र अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त स्थान अन्य श्रेणी को निम्नानुसार उपलब्ध कराकर भरा जायेगा :-
- (क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रिक्त स्थान पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।
- (ख) अनुसूचित जाति श्रेणी के रिक्त स्थान पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।
- (ग) आरक्षण के विस्तार तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।
- (घ) उपरोक्त रीति में इन तीन आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थानों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- (5) स्नातकोत्तर उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में ऐसे सेवारत चिकित्सा अधिकारी जो मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग में सेवारत हों, (प्रदर्शकों के अलावा) के चयन के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराई जायेगी।

8. चयन मापदंड (सेवारत अभ्यर्थी):-

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु चयन प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

(1) चिकित्सा अधिकारी :-

- (क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल, 2014 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जो मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हो एवं जिसने ग्रामीण क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा ऐसा अभ्यर्थी जिसने मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा/आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. या अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सक के रूप में ग्रामीण क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र में सेवा के 03 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण कर ली हैं, सेवारतअभ्यर्थी के रूप में चयन हेतु पात्र होंगे ।
- (क-1) सेवारत एवं उपरोक्तानुसार संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत डिग्री हेतु 05 वर्ष की सेवा तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 03 वर्ष की सेवा विभाग में देने हेतु बाण्ड का निष्पादन करना होगा जो पी0जी0 डिग्री के लिये रूपये 10.00 लाख तथा पी0जी0डिप्लोमा हेतु रूपये 8.00 लाख होगा ।
- (क-2) राज्य शासन के विभागों द्वारा स्पांसर किये गये सेवारत अभ्यर्थियों को स्पांसरकर्ता मूल विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जाएगा । स्पांसरशिप का आशय सेवारत अभ्यर्थियों को सेवा में मानते हुए वेतन भुगतान से होगा । यह स्पांसरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं किसी अन्य लाभ के लिये देय नहीं होगा । बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा । चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन/स्टायपेण्ड देय नहीं होगा ।
- (क-3) तीन वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु उस कालावधि की गणना ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्र सेवा के प्रयोजन के लिये उस स्थिति में नहीं की जावे जब वह ग्रामीण क्षेत्र अथवा अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में पदस्थ अथवा संलग्न रहा हो अथवा यदि अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है । कोई डायजनोंन अवधि हुई/कोई अवैतनिक छुट्टी की अवधि पर रहा है/तीन माह से अधिक की कालावधि तक प्रशिक्षण पर रहा है ।
- (ख) मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों में नियमित सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को प्रवेश वर्ष की दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को पांच वर्ष की सेवा होने पर चयन की पात्रता होगी । ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की ग्रामीण सेवा के अतिरिक्त, डिग्री हेतु 4 वर्ष की एवं डिप्लोमा हेतु 2 वर्ष की सेवा राज्य शासन के अंतर्गत अपनी सेवायें देने के लिए बांड निष्पादित करना होगा । शासन के अनुदेशों के अनुसार पी.जी. डिग्री के लिए 10.00 लाख तथा पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 8.00 लाख का बाण्ड भरना होगा ।
- (ग) सेवारत पुरुष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल, 2014 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
- (घ) ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्र सेवारत/संविदा अभ्यर्थियों को उनके सेवाकाल में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा केवल एक बार (डिग्री/डिप्लोमा) इस कोटे का लाभ दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी सेवा में आने से पूर्व स्नातकोत्तर परीक्षा (डिग्री/डिप्लोमा) उत्तीर्ण हो ।

(2) प्रदर्शक :-

- (क) चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत शासकीय स्वशासी संस्थाओं के प्रदर्शकों को 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनकी जानकारी कार्सलिंग के समय उपलब्ध कराई जाएगी । जिन प्रदर्शकों ने 30 अप्रैल, 2014 को 5 वर्ष लगातार नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, केवल वे ही पात्र होंगे । स्कूटनी के समय इन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत पांच वर्ष की सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग में देने हेतु रूपये 10.00 लाख का बाण्ड निष्पादन करना होगा ।

पदस्थापना का पद व स्थान का निर्णय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन होगा । पदस्थापना एवं पदोन्नति के संबंध में समस्त अधिकार म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के होंगे । अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार पदस्थापना/पदोन्नति करवाने हेतु आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं होगा एवं कोर्स पूर्ण होने के पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जा सकेगा । उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रदर्शकों को काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) प्रदर्शकों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा पुरुष अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

9. परीक्षा एवं योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) :-

- (1) स्नातकोत्तर, एम.डी./एम.एस. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन, नई दिल्ली एवं स्नातकोत्तर, एम.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एम्स, नई दिल्ली द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम पर आधारित प्रावीण्य सूची मान्य की जावेगी ।
- (2) अभ्यर्थी आवंटन के समय अपनी पात्रता अनुसार यह विकल्प दे सकेंगे कि वे शासकीय स्वशासी अथवा निजी महाविद्यालयों में से किसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, विकल्प निम्न प्रकार होगा :-
(अ) शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय
(ब) निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय.
(स) उक्त दोनों विकल्प
- (3) सेवारत अभ्यर्थी/प्रदर्शक भी ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एकजामिनेशन-2014 प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित किये जाएंगे । सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एकजामिनेशन, 2014 प्रवेश परीक्षा द्वारा पी0जी0 सीट पर प्रवेश हेतु ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एकजामिनेशन, 2014 के नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने होंगे । सफल सेवारत अभ्यर्थियों एवं प्रदर्शकों की एक पृथक-पृथक पात्रता एवं मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ।
- (4) समस्त पात्र सेवारत अभ्यर्थी (चिकित्सा अधिकारी) अपने आवेदन परीक्षा परिणाम सहित आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तुत करेंगे । आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सभी विभागों के चिकित्सा अधिकारियों की एकजाई सूची तैयार की जावेगी । आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें तैयार सूची में निम्नांकित गणना के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़कर उन्हें योग्यता सूची में शामिल कर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर प्रवेश हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा को सौंपेंगे ।

प्रदर्शक अपने आवेदन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के माध्यम से संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे ।

(4.1) चिकित्सा अधिकारी

सेवारत अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता (इण्टर-से-मेरिट) ग्रामीण क्षेत्रों में की गई उनकी सेवा के लिए अधिमान के अंक जोड़कर निश्चित की जाएगी । ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत अभ्यर्थी को अधिकतम 50 अंक प्राप्त होंगे, जो निम्नलिखित आधार पर आवंटित किए जाएंगे:-

(क) ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापना के दौरान की गई एक वर्ष की शासकीय सेवा के लिए अधिकतम 06 अंक अधिमान दिए जाएंगे । ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के लिए अधिकतम प्राप्तांक 30 अथवा 20 होंगे जो प्रतिवर्ष हेतु 5 वर्ष के लिये निम्नानुसार अंक होंगे :-
यदि ऐसी सेवा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई हो तो एक वर्ष के लिए 06 अंक दिये जाएंगे तथा यदि सेवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बनाये गये हैं, तो एक वर्ष के लिये 04 अंक दिये जाएंगे ।

(ख) ऐसी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे, यदि ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी उप योजना के अंतर्गत आता है तथा यदि ऐसी सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई हैं तो अभ्यर्थी को पांच वर्ष हेतु 04 अतिरिक्त अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे

और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई ऐसी सेवाओं के लिए 02 अंक प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष के लिए अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे ।

(ख-1) महिला सेवारत अभ्यर्थियों को ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में की गई सेवा के प्रतिवर्ष के मान से दो अतिरिक्त अंक प्रदाय किये जायेंगे ।

- (ग) इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थी की सेवा अवधि की उस कालावधि की गणना ग्रामीण सेवा के अधिमान के अंक की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस स्थिति में नहीं की जाएगी जब वह ग्रामीण क्षेत्र अथवा अधिसूचित क्षेत्र अथवा आदिवासी क्षेत्र में पदस्थ रहा हो और यदि अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा के कार्यकाल के दौरान अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है/ कोई डाईजनॉन अवधि हुई है/ कोई अवैतनिक छुट्टी की अवधि पर रहा है/03 माह से अधिक की कालावधि तक प्रशिक्षण पर रहा है/शहरी क्षेत्र में संलग्न रहा है ।
- (घ) सेवारत अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों तथा लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में सेवा के लिए प्राप्त किए गए अधिमान के अंकों (अधिकतम 50 अंकों के बराबर) के आधार पर तैयार की जाएगी ।
- (ङ) दो या उससे अधिक सेवारत अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में अभ्यर्थी की आयु में वरियता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी ।
- (च) सेवारत अभ्यर्थियों की परामर्श (काउंसलिंग) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी ।
- (4.2) अन्य विभागों के सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के नाम, विभाग की टीप के साथ आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं म0प्र0 को प्रेषित करेंगे आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं आवेदकों के नाम सेवारत अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित कर संचालक चिकित्सा शिक्षा को भेजेंगे ।
- (5) प्रदर्शकों हेतु सेवा के पृथक से अंक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । संबंधित अधिष्ठाताओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन,2014 में प्राप्तकों के आधार पर प्रदर्शकों की श्रेणीवार पृथक मेरिट सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा घोषित की जाएगी जिसके आधार पर काउंसलिंग की कार्यवाही की जावेगी ।
- (6) **अभिलेख सत्यापन :-**
(सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को अपने अभिलेख विहित प्रारूप में स्कूटनी समिति को प्रस्तुत करने होंगे) सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को अपने विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र स्कूटनी के समय प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय विभाग से प्राप्त नियोक्ता का स्पांसरशिप प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रदर्शकों को उक्त के अतिरिक्त एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें कोर्स पूर्ण होने के पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा ।
10. **पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में वापसी :-**पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 24 माह है । पाठ्यक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रारिथिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं । किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा किन्तु इस अवधि के लिये कोई स्टायपेण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा ।
11. **फीस, बंध पत्र आदि :-**
सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को छोड़कर अन्य चयनित अभ्यर्थियों (गैर सेवारत चयनित अभ्यर्थी) को, प्रवेश के समय पी.जी. उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् कम से कम एक वर्ष तक राज्य सरकार के अधीन शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में कार्य करने के लिए शासन के अनुदेशों के अनुसार अर्थात् स्नातकोत्तर डिग्री के लिए रूपये 10.00 लाख तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रूपये 8.00 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा। शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, ऐसे अभ्यर्थियों की सूची कम से कम 3 माह पूर्व आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करायेंगे जो उनके संस्थान में विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं । तत्पश्चात् वे पी.जी. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची भी उपलब्ध कराएंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों के भराये गये बंध पत्र स्वमेव निरस्त माने जावेंगे। ऐसे चिकित्सकों को राज्य सरकार के अधीन निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं देना होगी ।

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25/08/2010 के अनुसार जिन स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों का चयन विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट/प्रदर्शक के पद पर हो जाता है, उन्हें ग्रामीण सेवा के बाण्ड/अधिसूचित क्षेत्र में सेवा के बाण्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाए कि वे बाण्ड अवधि के बराबर अवधि तक उक्त महाविद्यालयों में सेवा करेंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्त लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के पास उसकी सम्पूर्ण बाण्ड अवधि के लिये जमा रहेंगे एवं सिर्फ बाण्ड की शर्तों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत ही वापस किये जाएंगे।

अगर कोई छात्र बाण्ड से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर द्वारा डब्ल्यू.पी.क्रमांक 11677/10 एवं अन्य प्रकरणों में पारित निर्णय अनुसार बाण्ड राशि स्वशासी मद में जमा करवाकर बाण्ड से मुक्त हो सकता है। इसके लिये अधिष्ठाता सक्षम होंगे। यदि कोई छात्र उच्च अध्ययन के लिये जाना चाहता है तो ऐसे छात्रों को बंधपत्र में उल्लेखित राशि की बैंक गारन्टी संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा तथा गारन्टी जमा करने पर उसे मूल दस्तावेज वापस किये जा सकेंगे। उच्च अध्ययन की समाप्ति पर छात्र को ग्रामीण सेवा पूर्ण करना आवश्यक होगा। ग्रामीण सेवा पूर्ण करने के पश्चात् ही बैंक गारन्टी वापस की जाएगी। अन्यथा बैंक गारन्टी की राशि राजसात कर ली जाएगी।

12. फीस सरंचना :-

प्रत्येक अभ्यर्थी (सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों सहित)को नीचे यथावर्णित फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी :-

1.	शैक्षणिक फीस (डिग्री)	रुपये	35,000/-	प्रतिवर्ष
2.	शैक्षणिक फीस (डिप्लोमा)	रुपये	35,000/-	प्रतिवर्ष
3.	छात्रावास फीस	रुपये	10,000/-	प्रतिवर्ष
4.	छात्र निधि	रुपये	500/-	प्रतिवर्ष
5.	काशनमनी (वापसी योग्य)	रुपये	3,000/-	
6.	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये	10,000/-	

12.1

फीस वापसी- अखिल भारतीय कोटे व स्टेट कोटे से पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा स्टेट कोटे की अंतिम काउंसलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी। शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुर्नआवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क में से 10 प्रतिशत शुल्क (अधिकतम रूपये 25,000/-) काटकर शेष राशि छात्र को वापिस कर दी जाएगी।

13. प्रतिभूति निक्षेप :-

(1) काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को रूपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। इस हेतु प्रक्रिया काउंसलिंग के समय सूचित की जावेगी।

परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता / संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये

3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक/स्वयं की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रूपये 2,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे।

(2)

पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहत हो जाएगा।

14.

पात्रता :-

(1) AIPGMEE-2014/AIPGDEE-2014 द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में निर्धारित कुल अंकों में से निम्नानुसार अंक प्राप्त अभ्यर्थी परामर्श (काउंसलिंग) हेतु पात्र माने जायेंगे :-

क)	अनारक्षित--	50 प्रतिशत।
ख)	आरक्षित--	40 प्रतिशत।
ग)	विकलांग अनारक्षित	45 प्रतिशत।

(2) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये।

निम्नलिखित में से किसी भी एक परिस्थिति में भी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की श्रेणी में शामिल होना माना जावेगा :-

- 2.1 मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो
- 2.2 मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/ उद्योग/ व्यवसाय करता हो।
- 2.3 राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो।
- 2.4 मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
- 2.5 केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।
- 2.6 अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- 2.7 मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

नोट:- (उपरोक्त 2.1 से 2.7 के आधार पर अभ्यर्थी का म0प्र0 निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है)

- 2.8 अभ्यर्थी द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिये।
 - 2.9 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर की संस्था से जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/अखिल भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, से उत्तीर्ण की है।
 - 2.10 मध्यप्रदेश शासन के विभाग द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी (सेवारत चिकित्सा अधिकारी)।
 - 2.11 मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय स्वशासीसंस्थाओं में कार्यरत प्रदर्शक।
- (3) सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद/म0प्र0 डेंटल काउंसिल से पंजीकृत कराना आवश्यक है अन्यथा प्रवेश निरस्त की कार्यवाही की जाएगी।

3.1 पी0जी0 सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद/दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.2 पात्र अभ्यर्थी को एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिनांक 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी जिसमें सेवारत अभ्यर्थी/प्रदर्शक भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की कालावधि तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने का हकदार नहीं होगा यदि उसे अखिल भारतीय परीक्षा या स्टेट प्री.पी.जी. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्थान आवंटित हुआ था और उसने 2013 तथा उसके पूर्ववर्ती विगत दो वर्ष के दौरान किसी कारण से प्रवेश लेकर उसके पश्चात् स्थान (सीट) छोड़ दी हो। इसके अतिरिक्त वे अभ्यर्थी जिन्होंने पीजी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् आगामी तीन/दो वर्ष तक पी0जी0 सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी।

- (5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनके अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा **AIPGMEE-2014 / AIPGDEE-2014** की ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर मध्यप्रदेश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटे में प्रवेश दिया गया है तथा उनका चयन, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2014) की मध्यप्रदेश स्टेट की मेरिट में भी हुआ है, वे मध्यप्रदेश कोटे के लिये भी आयोजित परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र होंगे। तथापि वह यदि ऐसे परामर्श (काउंसलिंग) में स्टेट कोटे में स्थान (सीट) का चयन करता है तो उसे अखिल भारतीय कोटा का स्थान (सीट) छोड़ देना होगा।
- (6) अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं सभी आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने अन्य किसी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्व में प्रवेश लिया है उन्हें स्कूटनी के समय उस महाविद्यालय के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होना चाहिये कि उनके कौन-कौन से मूल दस्तावेज जमा हैं, यह प्रमाण-पत्र तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन के पश्चात् प्रवेश हेतु दी गई आवंटन पत्र में अंकित निर्धारित समय सीमा में प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वयं निरस्त माना जाएगा तथा उसकी सीट को रिक्त मानते हुए यह सीट आगामी चरण की काउंसलिंग में प्रदर्शित की जाएगी तथा अभ्यर्थी जिन्हें यह सीट आवंटित हुई थी वह आगे के चरणों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अपात्र घोषित किया जाएगा परन्तु अंतिम चरण की काउंसलिंग में मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों पर प्रवेशित छात्रों के पुर्नआवंटन के अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों को अंतिम चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिये मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट:-

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 5-15/03/55/चिशि/1, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 के अनुसार एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित बाण्डेड छात्र, जो छात्र ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2014 में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

15. योग्यता सूची -

- (1) योग्य उम्मीदवारों की योग्यता के लिए प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा **AIPGMEE-2014 / AIPGDEE- 2014** में निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे :-

क)	अनारक्षित वर्ग	:	50 प्रतिशत
ख)	आरक्षित वर्ग	:	40 प्रतिशत
ग)	अनारक्षित विकलांग	:	45 प्रतिशत

- (2) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 10प्र0 राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सुनिश्चित सीटें ही उपलब्ध होंगी।
- (3) सेवारत अभ्यर्थियों (चिकित्सा अधिकारी) की पृथक योग्यता सूची ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2014 परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अर्हकारी अंकों तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा आवंटित अंकों को जोड़ने के पश्चात् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाई जाएगी। इस अंतिम योग्यता सूची के अनुसार परामर्श (काउंसलिंग) की जाएगी।
- (4) प्रदर्शकों की पृथक से योग्यता सूची तैयार की जावेगी।
16. परामर्श (काउंसलिंग) -

काउंसलिंग का कार्यक्रम पृथक से घोषित किया जाएगा तथा काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रथम तथा द्वितीय चरण की काउंसलिंग ऑनलाईन की जायेगी तथा तृतीय चरण एवं लेफ्ट आउट सीट्स की काउंसलिंग ऑफलाईन की जाएगी।
2. अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 500/-, पोर्टल फीस रुपये 30/- तथा रुपये 100 पोर्टल फीस चार्जिस लॉकिंग करने हेतु देय होगी। यह राशि अभ्यर्थी द्वारा एमपी ऑनलाईन द्वारा अधिकृत कियोस्क पर नगद जमा कर सकता है अथवा अभ्यर्थी निम्नानुसार भी देय कर सकता है।
 - अ. इंटरनेट बैंकिंग
 - ब. ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड
 - स. क्रेडिट कार्ड

नोट:- अर्थात् अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय रूपये 530/- एवं च्वाईस लॉकिंग के समय रूपये 100/- कुल रूपये 630/- (रूपये छः सौ तीस केवल) जमा करने होंगे ।

3. शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय के लिये मात्र एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ।
4. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसिलिंग में किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पाता है वह अपना रजिस्ट्रेशन द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के दौरान करा सकेगा किन्तु उसे तत्समय उपलब्ध सीटों पर ही मेरिट कम च्वाईस अनुसार आवंटन की पात्रता होगी ।
5. रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी काउंसिलिंग स्थल पर अपने मूल दस्तावेजों के साथ स्कूटनी करवायेगा ।
6. स्कूटनी के पश्चात् पात्र उम्मीदवार को सीट आवंटन हेतु ऑनलाईन च्वाईस भरनी होगी । ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग की गई है उन्हें द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः ऑनलाईन च्वाईस भरने की पात्रता होगी ।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो उपलब्ध विषय/महाविद्यालय में कोई च्वाईस नहीं भरना चाहते ऐसे अभ्यर्थियों के लिये ऑफ फार वेटिंग का ऑप्शन उपलब्ध होगा ।
8. च्वाईस भरने के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये अपात्र होंगे । अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे भली भांति सोच विचार कर अपनी च्वाईस भरे ।
9. आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट अपने पासवर्ड का उपयोग करके जो कि उसे एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन करवाने पर एमपी ऑनलाईन द्वारा दिया जायेगा ।
10. आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे ।
 - अ. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है ।
 - ब. ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।
 - स. ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में ऑफ फार वेटिंग का ऑप्शन दिया है ।

नोट :-

- 1- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था वे मात्र द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे ।
- 2- प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी ही तृतीय चरण एवं लेफ्ट आउट सीट की काउंसिलिंग हेतु पात्र होंगे । तृतीय चरण की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीटों हेतु पृथक से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ।
- 11- यदि कोई अभ्यर्थी आरंभ के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी कारण से उस सीट से त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थी को शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये अपात्र माना जाएगा ।
- 12- अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं सभी आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे ।
- 12-ए ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने ऑल इंडिया में अथवा अन्य राज्य के किसी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उन्हें स्कूटनी के समय उस महाविद्यालय के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होना चाहिये कि उनके कौन-कौन से मूल दस्तावेज जमा है, यह प्रमाण-पत्र तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन के पश्चात प्रवेश हेतु दिये गये निर्धारित समय सीमा में प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा उसकी सीट को रिक्त मानते हुए यह सीट आगामी चरण की काउंसिलिंग में प्रदर्शित की जाएगी तथा अभ्यर्थी जिसे यह सीट आवंटित हुई थी वह आगे के चरणों की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अपात्र घोषित किया जाएगा ।
- 12-बी अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की पावती का प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा जारी किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र का उपयोग प्रदेश के बाहर अन्य संस्थाओं में काउंसिलिंग के लिये किया जा सके । यदि अखिल भारतीय संस्थायें इस प्रमाण-पत्र से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व तक अपने मूल दस्तावेजों को जमा किये जाने का समय दिया जावे । प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात सीट आवंटित होने पर प्रवेश लेने के लिए फीस भुगतान की अंतिम तिथि 07 अप्रैल, 2014 ही रहेगी ।

- 13- तृतीय चरण एवं लेफ्ट आउट सीट्स की ऑफ लाईन काउंसलिंग में सीट आवंटन के समय शासकीय स्वशासी/निजी कॉलेजों की पूर्ण वार्षिक फीस तथा अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज काउंसलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जाएगी ।
- 14- (1) ऑल इंडिया कोटे से रिक्त स्टेट कोटे में वापिस प्राप्त (रिवर्टेड) सीट के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेशित हों अथवा ऐसे पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो, अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफ फॉर वेटिंग का ऑप्शन दिया है।
- (2) सेवारत उम्मीदवारों (चिकित्सा अधिकारी) एवं प्रदर्शकों को केवल अपनी श्रेणी से सीट आवंटन की पात्रता होगी ।
- (3) सेवारत अभ्यर्थियों एवं प्रदर्शकों की काउंसलिंग/आवंटन के पश्चात् रिक्त रही सीटें उसी श्रेणी के ओपन गैर सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जाएगी
- (4) संबंधित श्रेणी में विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में खाली स्थान (सीट) उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।
- (5) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्कूटनी के समय सत्र 2013-14 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-11/1/3/2010 दिनांक 07 सितम्बर, 2010 के द्वारा संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है । आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) का ड्राफ्ट जमा करना होगा ।
- (6) राज्य कोटे के लिए रिवर्टेड अखिल भारतीय कोटे की डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अलग-अलग उपलब्ध सीट्स की संख्या को समस्त श्रेणियों अर्थात् सेवारत और ओपन श्रेणी में उसी अनुपात में वितरित किया जाएगा जो म.प्र. शासन की आरक्षण नीति अनुसार राज्य कोटा के स्थानों के लिए विहित है तथा इन सीटों को (ऑफ लाट्स) द्वारा वितरित किया जावेगा । किसी श्रेणी को सीट्स की संख्या के संबंध में विवाद की दशा में उच्चतम फ्रेक्शन का विचार किया जाएगा तथा उसे अधिमान दिया जाएगा ।
- (7) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार सीट व कालेज आवंटित किये जाने के पश्चात् पुनः आवंटन की पात्रता उसके मेरिट के अनुसार होगी । इसके लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन के अनुसार निर्धारित तिथि तक संबंधित कालेज में शुल्क जमा करके संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी । शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनः आवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क का 10 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 25,000/-) शुल्क काटकर शेष राशि छात्रों को वापस की जाएगी ।
17. प्रवेश : किसी अभ्यर्थी का किसी विषय, पाठ्यक्रम या किसी महाविद्यालय में काउंसलिंग द्वारा आवंटन हो जाने के फलस्वरूप वह महाविद्यालय के डीन/प्राचार्य को अधिसूचित तारीख तथा समय पर रिपोर्ट करेगा ।
- (1) डीन/प्राचार्य, दो प्रोफेसर तथा आरक्षित प्रवर्ग के कम से कम दो चिकित्सा शिक्षकों से मिलकर बनने वाली प्रवेश समिति भी मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाए जाएं, तो अभ्यर्थी को आवंटित विषय, पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में प्रवेश देगी ।
- (2) एक बार अखिल भारतीय अथवा राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश हो जाने पर समस्त मूल प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा रखे जाएंगे तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा ।
- 2.1 ऑल इंडिया अथवा स्टेट कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् छात्र को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा एक सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करेगा कि यदि वह अंतिम चरण की काउंसलिंग के प्रारंभ होने की दिनांक अथवा उसके पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप रुपये 5.00 लाख संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति को जमा करेगा अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी । तत्पश्चात् ही मूल दस्तावेज वापस किये जावेंगे । डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी कमशः 3 वर्ष के लिये एवं 2 वर्ष के लिये प्री.पी.जी. काउंसलिंग के लिये अपात्र होंगे ।
- (3) अखिल भारतीय एवं स्टेट कोटे पर प्रवेशित छात्रों को ग्रामीण सेवा का बंधपत्र पूर्ण करने अथवा बंध राशि जमा कर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मूल दस्तावेज लौटाये जाएंगे ।

- (4) उम्मीदवार को अंतिम चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन अथवा पुनःआवंटन के पश्चात् सीट मिलने पर विषय, पाठ्यक्रम श्रेणी तथा महाविद्यालय में प्रवेश दिये जाने के बाद किसी भी आधार पर उसमें कोई परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2002 एम.सी.आई. विरुद्ध मधु सिंह एवं अन्य एवं सहपठित डॉ० फ़र्रोज़ नसीम विरुद्ध यूनिन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य, याचिका क्रमांक 433/2013 में पारित निर्णय, दिनांक 14/03/2014 जिसमें वर्ष 2014-15 में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जुलाई, 2014 की गई है के पश्चात् किसी भी छात्र को पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य कोई निर्देश अथवा निर्णय पारित किये जाने पर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- (6) जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करता है अथवा प्रवेश लेने की अंतिम तिथि के पूर्व स्थान छोड़ देता है अथवा प्रवेश लेने के उपरांत बिना संस्था प्रमुख की अनुमति के निरंतर 30 दिवस अनुपस्थित रहता है अथवा प्रवेश उपरांत सीट से त्यागपत्र दे देता है तो उसका दावा समपूत हो जाएगा तथा उसे दिया गया आवंटन/प्रवेश रद्द कर दिया गया समझा जाएगा तथा वह आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं रहेगा।
- (7) स्कूटनी एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी एवं प्रवेश के समय आवंटित सीट की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हो। वीडियोग्राफी की सी.डी. तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी जिसकी एक प्रति अधिष्ठाता, एक प्रति संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं एक प्रति रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय में जमा कराई जाए। प्रवेश के समय की वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी संबंधित अधिष्ठाता की होगी एवं स्कूटनी के समय की वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की होगी।
- (8) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को दी जाएगी एवं यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर चप्पा की जाएगी एवं डीएमई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (9) प्रत्येक चरण की काउंसलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी एवं उसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस समिति के समन्वयक एवं नोडल अधिकारी संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा होंगे जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (10) स्कूटनी के दौरान तथा प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दोनों हाथों की समस्त उंगलियों के फिंगर प्रिन्ट संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा लिया जावेगा एवं वे इसे सुनिश्चित करेंगे।
- (11) प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार मध्यप्रदेश शासन को होगा। उसकी सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी किन्तु इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in के सतत सम्पर्क में रहें एवं उसे देखते रहें।
18. **नियमों का स्पष्टीकरण :-**
किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इन नियमों के निर्वाचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।
19. **निरसन तथा व्यावृत्ति :-**
मध्यप्रदेश चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर (पाठ्यक्रम) प्रवेश परीक्षा नियम, 2013 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं। परंतु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।
20. किसी भी विवाद की दशा में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2014 नियम हिन्दी को ही मान्य किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस.एस. कुमरे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

परिशिष्ट-1

क्रमांक प्रति, ~~5/123/2013/1/55~~ भोपाल, दिनांक 3/6/2013

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
म0प्र0 भोपाल ।

विषय:- पी0जी0 छात्रों के अवकाश के संबंध में ।
सन्दर्भ:- आपकी टीप क्रमांक 1192/पीजी/4/संचिशि/13 दि0 2/5/13

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश प्री0जी0नियम 2012-13 के उप नियम-4 के अनुसार पी0जी0 छात्रों को निम्नानुसार अवकाश देय है :-

- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)
(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश
(ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572/03/पचपन/चिशि-1 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार पूर्व अनुमति, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त नियमों के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- (क) उपरोक्त बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार अवकाश अवधि को परीक्षा में बैठने हेतु उपस्थिति मान्य किया जावे, किन्तु उतनी अवधि का पृथक से वास्तविक प्रशि.प प्राप्त करना होगा जिससे वास्तविक प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा ।
(ख) साथ ही पी0जी0 डिग्री पाठ्यक्रम के लिये केवल 36 माह का ही स्टायफण्ड तथा पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये केवल 24 माह का ही स्टायफण्ड देय होगा
(ग) उक्त प्रकार के प्रकरणों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत ही घोषित हो ।
(घ) पी0जी0 छात्रों को चिकित्सा अवकाश का आवेदन निर्धारित समय सीमा में संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधिष्ठाता को प्रस्तुत करना होगा ।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय
भोपाल, दिनांक /6/2013

क्रमांक प्रति, ~~5/123/2013/1/55~~

- 1- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा की ओर सूचनाार्थ ।
2- प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय

प्रोफार्मा-1

ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014 परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ-पत्र का प्रोफार्मा

फोटो

मैं, डॉ.आत्मज/आत्मजा.....

.....आयु..... निवासी

.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि -

1. वर्तमान में, मैं मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में यथा 2011, 2012, 2013 में मध्यप्रदेश प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत नहीं हूँ।
2. पिछले तीन वर्षों के दौरान (2011, 2012, 2013) में मुझे म.प्र. राज्य में किसी भी विषय में म.प्र. स्टेट प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आवंटित नहीं किया गया है।
3. गत दो वर्षों के दौरान (यथा 2012, 2013) में मैंने कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षों के दौरान (2011, 2012, 2013) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

...

पदनाम

..

पता

...

.....

सत्यापन

मैं, डॉ.आत्मज/आत्मजा.....

..... आयुनिवासी.....

.....सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक 1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं।

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम

पता

प्रोफार्मा-2

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्क्रूटनी, काउंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रोफार्मा (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)
 मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमों 2014 को भलीभांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 के चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में संचालित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिये आज मूल प्रमाणपत्र अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, या असत्य है या अधूरी है या निर्देशानुसार नहीं है तो ऐसा होने पर, यद्यपि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014/ ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2014 परीक्षा का रोल नं.....
2. मेरिट सूची क्रमांक
3. पूरा नाम:
4. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
5. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....
अन्य पिछड़ा वर्ग)
6. प्रवर्ग- विकलांग
7. मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही () का चिह्न लगायें

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014 / ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2014 परीक्षा का रैंक लेटर एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड ।
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु ।
3. सभी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं की अंक सूची ।
4. दिनांक 31मार्च 2014 को इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र / इंटर्नशिप चलने संबंधी प्रमाण-पत्र (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो जावेगी)
5. एमसीआई /डीसीआई का स्थायी/अस्थायी (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो जावेगी) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एमसीआई को आवेदन की पावती)
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ पत्र ।
7. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
9. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ।
10. वर्तमान वर्ष 2013-14 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
11. मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नान-क्लिनिकल/पैराक्लिनिकल विषयों में प्रदर्शक का कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र ।
12. प्रायोजित (स्पॉन्सरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत उम्मीदवारों के लिए लागू)
13. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो ।
14. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

--2/--

नोट-1. अभ्यर्थी को अपना फोटो आई.डी. (वोटर आईडी कार्ड/पेन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट ड्रायविंग लायसेंस आदि) एवं ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014/ ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2014 परीक्षा के आवेदन फार्म पर चस्पा की गई फोटो की 30 प्रतियां स्कूटनी, आवंटन एवं प्रवेश के समय लाना अनिवार्य है।

नोट-2. स्कूटनी के समय सभी मूल दस्तावेजों की स्व. प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट लाना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

स्कूटनी (छानबीन समिति द्वारा भरा जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों, (1-10)कीजांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कराने के कारण/या अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014 / ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2014 परीक्षा का रैंक लेटर एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड।
 2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु।
 3. सभी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं की अंक सूची।
 4. दिनांक 31 मार्च 2014 को इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र / इंटर्नशिप चलने संबंधी प्रमाण-पत्र (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो जावेगी)
 5. एमसीआई /डीसीआई का स्थायी/अस्थायी (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो जावेगी) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एमसीआई को आवेदन की पावती)
 6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ पत्र।
 7. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण पत्र।
 8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 9. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र।
 10. वर्तमान वर्ष 2013-14 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
 11. मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नान-क्लिनिकल/ पैराक्लिनिकल विषयों में प्रदर्शक का कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र।
 12. प्रायोजित (स्पॉन्सरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत उम्मीदवारों के लिए लागू)
 13. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो।
 14. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
2. अपात्रता के अन्य कारण:-

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम

प्रोफार्मा- 3अभ्यर्थी की काउंसलिंग के माध्यम से विषय/पाठ्यक्रम/संस्था के आवंटन हेतु सहमति

मैं आज दिनांकको काउंसलिंग में भाग लेकर अपना क्रम आने पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये स्वेच्छापूर्वक सहमत या असहमत हूँ या "आप्ट फार वेटिंग" की सूची में अपना नाम रखने के लिये सहमत या असहमत हूँ।

तदनुसार मुझे संस्थापाठ्यक्रम.....विषय..... आवंटित करने का कष्ट करें।

नाम सदस्य

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रोल नं

दिनांक

मेरिट नं.

पूरा नाम एवं पता

.....

काउंसलिंग अधिकारी द्वारा आवंटन

डॉ. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014/ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई.

2014 परीक्षा रोल नंबर मेरिट नं0.....श्रेणी अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छापूर्वक चयन के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम विषय तथा संस्था आवंटित की जाती है।

या

अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम विषय तथा संस्था

..... चयन न करने के कारण आवंटन नहीं दिया गया।

दिनांक

आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम तथा पद नाम

.....

प्रोफार्मा - 4**शपथ पत्र**

मैं/आत्मज/आत्मजा श्रीआयु.....निवासी.....आज दिनांकको शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

मैं आवंटित संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात्, म.प्र. चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकाकेत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक दिनांक
नाम पूरा नाम
पूरा पता पद
2. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक
नाम.....
पूरा पता

प्रोफार्मा - 5

अखिल भारतीय कोटा सीट त्याग करने के बदले राज्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीट का आवंटन हेतु घोषणा या प्ररूप

मैं/मुझेपिता/पुत्री/.....निवासी.....
..... रोल न.ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई.
2014/ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2014 परीक्षा में रैंक क्रमांक पर रखा गया है
तथा मैंने आवंटन मेविषय महाविद्यालय में सीट का विकल्प
लिया है तथा मैंने तारीख को उसमें प्रवेश लिया है।

(एक) मैं मध्यप्रदेश ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई.2014/ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2014 परीक्षा में भी चयनित हुआ हूँ।

(2) इस आवंटन के अनुसरण में, मैं पाठ्यक्रम
..... महाविद्यालय..... में पूर्व से ही आवंटित सीट पर दावा
नहीं करूंगा। इसे मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से रिक्त माना जाए ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

स्थान

रैंक क्रमांक.....

प्रोफार्मा - 6

गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

बंध पत्र

रुपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों
द्वारा ग्रामीण सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2014 हेतु
अभ्यर्थी हूँ।

2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

3- मैं सामान्य/आंशिक श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।

4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्रों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा।
स. मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :-

- (1) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।
(2) यह कि, विहित अवधि (पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में शासन को पी.जी. डिग्री हेतु ₹0 10,00000/- (रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु ₹0 8,00000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

- 1.....
2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

- 1-
2-

प्रोफार्मा - 7

गैर स्रोवारत अभ्यर्थियों के लिये

सीट लीविंग बंध पत्र

रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2014 हेतु अभ्यर्थी हूँ।

- 1- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग 2014 में भाग लेकर आवंटित सीट पाठ्यक्रमविषयतथा संस्था में प्रवेश लिया गया है।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

अ मैं चिकित्सा/दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी।

ब यह कि, मेरे द्वारा अंतिम चरण की काउंसलिंग के प्रारंभ होने के दिनांक अथवा उसके पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में, मैं संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लीविंग बांड राशि रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख मात्र) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ।

स- यह कि, सीट लीविंग बांड राशि रू0 पांच लाख जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

- 1.....
- 2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

- 1-
- 2-

प्रोफार्मा-8

सेवारत अभ्यर्थी संबंधी जानकारी

अभ्यर्थी का नाम

पिता का नाम

जन्मतिथि

जाति- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

पदस्थापना का स्थान पी.एच.सी./सी.एच.सी./डी.एच. ब्लॉक जिला

स्थायी पता: मकान न. ग्राम/मोहल्ला तहसील

जिला पिन कोड

पत्राचार का पता: मकान न. ग्राम/मोहल्ला तहसील

जिला पिन कोड

दूरभाष क्रमांक कोड सहित कार्यालय..... निवास

प्रथम नियुक्ति की तारीख

क्या लोक सेवा आयोग से चयनित हैं ? हाँ/नहीं

लोक सेवा आयोग पुष्टि तारीख लोक सेवा आयोग मेरिट क्रमांक.....

क्या विभाग द्वारा नियमित हैं ? हाँ/नहीं

नियमितिकरण का दिनांक मेरिट क्रमांकआदेश क्रमांक.....

पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि का वर्णन उत्तीर्ण करने का वर्ष.....

क्या कोई पीजी उपाधि/डिप्लोमा धारक हैं उत्तीर्ण करने का वर्ष.....

क्या अखिल भारतीय परीक्षा में

उपस्थित हुए हैं तथा प्रवेश से इंकार किया गया है

चिकित्सा परिषद् का पंजीयन क्रमांक

घोषणा

मैं, एतद्द्वारा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता समपहत हो जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

प्रोफार्मा-9

प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. को मध्यप्रदेश चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये प्रायोजित किया जाता है।
2. डॉ. इसके
(संगठन का नाम) स्थायी/अस्थाई/नियमित/संविदा कर्मचारी हैं।
3. यह कि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की जिम्मेदारी प्रायोजित संस्था/संबंधित संगठन/विभाग की होगी।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक

प्रोफार्मा 10
शपथ-पत्र
(प्रदर्शकों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु)

मैं आत्मज/ आत्मजा श्रीआयु.....निवासी
.....प्रदर्शक के रूप में चिकित्सा महाविद्यालयविभाग
.....में दिनांकसे कार्यरत हूँ । मैं शपथपूर्वक
घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. स्टेट काउंसलिंग वर्ष 2014 के
स्नातकोत्तर प्रवेश नियम वर्ष 2014 को भलिभांति पढ़ा व समझ लिया गया है ।

मैं एतद द्वारा यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

- अ. मैं डॉ० ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2014 मेरिट
क्रमांकद्वारा एमडी/एमएस विषयसंस्था
में प्रवेश लिया गया है ।
- ब. यह कि मेरे द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत मेरी पदस्थापना का पद
एवं स्थान का निर्धारण मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन होगा ।
- स. यह कि मुझे इच्छानुसार पदस्थापना /पदोन्नति करवाने हेतु आवेदन करने का
कोई अधिकार नहीं होगा ।

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

गवाह

- 1.....
2.....

Bhopal the 22nd March 2014

Madhya Pradesh Medical and Dental Post Graduate Course
Admission Rules(Degree/ Diploma), 2014

No. F-5-300/2013/1/55 The State Government hereby makes the following rules relating to entrance to Post Graduate Medical Degree (MD & MS) course, Post Graduate Diploma Course and Post Graduate Dental Degree (MDS) courses in Government Autonomous Medical and Dental Colleges in the State of Madhya Pradesh.

RULES

1. Short Title and Commencement.— (1) These rules may be called the **(Madhya Pradesh Medical and Dental Post Graduate Course Admission Rules(Degree /Diploma), 2014.**

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette and shall remain in force for the Academic year 2014-15.

2. DEFINITIONS.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "AIPGMEE" means the All India Post Graduate Medical Entrance Examination, 2014.
- (b) "AIPGDEE" means the All India Post Graduate Dental Entrance Examination, 2014.
- (c) "College" means a Government/Autonomous Medical or Dental College under the State Government;
- (d) "Examination" means the AIPGMEE-2014/AIPGDEE-2014
- (e) "In-Service Candidate" means, Medical officer of the Government of Madhya Pradesh, who is serving under the Government of Madhya Pradesh on regular or contract basis.
- (f) "Demonstrator" means demonstrator working under Govt. of M.P. Medical Education Deptt. in Govt./autonomous institution.
- (g) "Other Backward Classes"(means Other Backward Classes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh)
- (h) "Rural Area " means the area other than Municipal Corporation area and Municipal Council area;
- (i) Notified area means : any areas situated in the M.P. State notified 89 Tribal sub planning development blocks.
- (j) "Scheduled Castes" means Scheduled castes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (k) "Scheduled Tribes" means Scheduled Tribes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh.
- (l) "Category" means Scheduled caste, Scheduled tribe, Other backward class and unreserved category as specified and laid down by the Government of M.P.
- (m) " Class" means Physically Handicapped (P.H.) (As specified and laid down by the Ministry of labour Govt. of India) and women.
- (o) "Selected Candidate" means a candidate who has been allotted a seat consequent upon counselling in 2014-15 based on merit list of AIPGMEE- 2014/AIPGDEE-2014 Conducted by NBE, New Delhi and AIIMS, New Delhi & who has been issued an allotment letter.
- (p) " State Government" means Government of Madhya Pradesh;
- (q) "Tribal Area" means area under tribal sub plan;

- (r) "MCI" means Medical Council of India;
 (s) "DCI" means Dental Council of India;

3. GENERAL :

- (1) PG Degree and Diploma courses will be governed and regulated by MCI / DCI / University / State Government / Government of India / Autonomous Society of the College under the rules and regulations in force as amended from time to time at the time of entrance examination, allotment, admission, as the case may be.
- (2) PG courses are full time courses for a period of three years in case of degree and two years in case of diploma from the date of admission. Students shall not be allowed to do private practice, part time job or any other job during the entire period of study.
- (3) **Correct information must be furnished and produced whenever required.**

All the eligible candidates are required to get registration done compulsorily at the site of counselling. Only those candidates who have registered themselves shall only be eligible to participate in counselling. Before filling up the Scrutiny form, candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and fill up complete and correct required information in the scrutiny form and enclose required documents, failing which the applicants shall not be entitled to seat allotment and admission etc.

- (4) The candidates are instructed to produce 30 copies of the same photograph at the time of Counselling & Admission which has been attached to online AIPGMEE-2014 & AIPGDEE -2014 application form.

Specification for Photograph :

- A photograph of minimum 35x45 mm with at least 75% coverage of face & head of the candidate.
 - A caption indicating name of candidate and date of taking photograph should be there at the bottom of photo.
Photograph would be taken in a white/very light coloured background.
 - The photograph needs to display full front view of the face. Please look directly into the camera with a neutral expression.
 - Avoid photograph with reflection or shadow on the face with red eyes.
 - The photograph needs to be printed on a high quality paper with at least 600 dpi resolutions.
 - The colours must possess the natural appearance and skin tone.
 - The photograph must not have kinks, scratches and stains.
- (5) At the time of scrutiny, candidate should furnish correct information. The candidate should put his full and same signature at the time of entrance examination, scrutiny and at the time of admission in the allotted college, If the signature differs, the candidate will not have any right for allotment of seat / admission.
- (6) **If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the application form at the time of conduct of entrance examination/ allotment of a seat/during process of admission at the time of scrutiny of the documents and after his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the College at any time during his/her studies and F.I.R. will be lodged against him/her.**

4. (1) The Students shall be entitled to (Including In-ServiceCandidates/Demonstrator) :-
- One weekly off (non cumulative);
 - Casual leave for 19 days per academic year.
 - Entitlement of Maternity leave without stipend during the entire tenure shall be 90 days with prior permission of the Dean/Principal. Medical certificate must be produced within ten days of proceeding on leave. As per M.P. Govt. Deptt. of Medical Education Ministry order no.F5/123/2013/01/55 Bhopal dated 03/06/2013.(Annex.)
- (2) As per Madhya Pradesh Government Medical Education Department order No. 147/4572/03/55/LV-M.E.-1, Dated 14-01-04 Medical leave shall be 15 days per year without stipend with prior permission. Sickness Certificate has to be produced within 10 days after proceeding on leave. This leave can be taken every year, but it will not be cumulative. **Information regarding leave should be forwarded through Head of the Department of the concerned subject to the Dean Office.**

5. Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence shall be liable to disciplinary action including expulsion from College by the Dean / Principal and cancellation of registration by the University. **If the candidate unauthorisedly & without information remains absent continuously for 30 days then his/her admission will be treated as cancelled automatically. This period of absence will not be adjusted against any of the permitted leave to the candidate.**

6. All the Post Graduate degree and diploma seats recognised by MCI New Delhi has been distributed subjectwise, course wise and college-wise will be made available at the time of counselling.

7. **RESERVATION.**—20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled caste and 14% seats are reserved for candidates belonging to other Backward Classes other than creamy layer of Other Backward Classes of Madhya Pradesh or as amended from time to time.

- Reservation for woman candidates shall be 30% according to merit cum option in each category.
- The candidate claiming to be a candidate belonging to Scheduled castes/ Scheduled Tribes / Other Backward Classes category of Madhya Pradesh shall have to attach a valid certified copy of certificate issued by the Competent Authority of Government of Madhya Pradesh with the application form and the Permanent original caste certificate has to be produced at the time of counselling. The Caste certificate should bear issue No., Dispatch no., date and seal of the issuing officer else it will Not be accepted. He/She will not be Eligible for reservation if fails to produce the permanent caste certificate . The sole responsibility will be of the candidate.
- For Physically Handicapped** candidates who are Bonafide residents of Madhya Pradesh and who belong to Scheduled caste/ Scheduled Tribe / Other Backward Classes and Unreserved category, three percent (3%) seats are reserved for admission to P.G. courses will be made available at the time of counselling. Vide MCI order No 34(41) 2008-Medi/54469 dated 25 March,2009 the seats shall be filled first by candidates with locomotor disability of lower limbs between 50-70% provided that in case seats remained unfilled on account of unavailability of candidate with locomotor disability of lower limbs between 50% to 70% than any such unfilled seat shall be filled by candidate with locomotor disability of lower limbs between 40% to less than 50%.

In Case eligible Physically Handicapped candidates are not available, the vacant seats will be filled by candidates of that category.

The candidate claiming admission against these seats will have to produce valid certificate, in the prescribed form, District Medical Board and eligibility certificate from superintendent vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. both the certificates are necessarily to be presented in original. Non production of both the certificates at the time

of scrutiny will disqualify a candidate for seat allotment & admission. The eligibility certificate should not have been issued more than 3 months before the date of counselling. After registration and scrutiny, on the basis of 50% to 70% disability and 40% and less than 50% separate merit lists shall be prepared on approval by DME, based on which the seats in handicapped quota will be allotted. In case of two candidates obtaining equal marks, the inter-se-merit will be decided by giving weightage to the age of the candidate.

Following disabilities are not eligible as per MCI guidelines.—

1. Upper limb Handicapped
2. Visual Handicapped
3. Hearing Handicapped
4. Lower limb more than 70% Handicapped.

In case the eligible candidate to the extent of reservation in any category i.e. Non service and in- service are not available the vacant seats of that category will be filled up by making available to other categories as given below.—

- (a) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
- (b) The vacant seats of SC category shall be filled up by the eligible ST category candidates.
- (c) In case the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
- (d) In case the eligible candidates are not available in these three reserved categories in the above manner the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.
- (5) In PG Degree and Diploma Courses of seats are reserved for In- service Medical officers of any Department of the Government of Madhya Pradesh (Except Demonstrator) will be made available at the time of counselling.

8. Selection Criteria :- (In Service Candidate)

Selection process and conditions for P.G. degree and diploma courses for In-service candidates will be as under.—

(1) Medical Officer

- (a) Only those candidates, who are working as Medical Officers in the Department of Public Health & Family Welfare, Govt. of M.P. & who have completed 3 years of rural service on 30 April, 2014 of year of admission as Medical Officer, or a candidate who is working consecutively as contractual/RCH/NRHM other any other programme medical officer in Department of Public Health & Family Welfare, Govt. of M.P. and has completed 3 years of rural notified area service will be eligible as In-service candidate.
- (a-1) In service candidates and candidates working on contractual basis as above, will have to execute a bond for serving in DHS for 5 years after completing degree and for 3 years after completing diploma worth Rs. 10.00 lac for degree and Rs. 8.00 lac for diploma.
- (a-2) Only regular in-service candidates will be considered as sponsored candidates and will get salary from Sponsoree. Sponsorship mean considering in-service candidate doing service, and they will be paid salary by the concerned Sponsoring deptt. the salary will be paid. **This sponsorship shall not be for tuition fee or any other benefit, rather such candidates shall have to deposit prescribed fees compulsorily for the course. Deptt. of Medical Education shall not pay any salary / stipend to such candidate**
- (a-3) The 3 years period of required service of candidate, while posted in rural area /notified area and if he/ she was on unauthorized absence from duty/ any dies-non period / any period of leave

without pay /any period on training exceeding 3 months / attachment in urban area during the tenure of rural service will not be counted for the purpose of calculation of 3 years of service.

- (b) **Other in-services candidates who have completed 5 years of service on 30 April, 2014 will be eligible. Such candidate will have to execute a bond for serving the State Govt. in the notified rural areas for at least 01 year and for four years in case of Degree and two years in case of Diploma in their parent Department in the state Government, after completing Post Graduate Degree. As per Government Instruction the bond is Rs.10.00 Lac. for post graduate degree and Rs.8.00 Lac. for Post Graduate Diploma course.**
- (c) The Maximum age limit for the selection of In-service male candidates will be 45 years and for female candidates max. 50 years on 30th April of the year of admission.
- (d) The contractual candidates working in rural/notified areas will be given benefit of in-service quota by D.G.H.S. only once during their service period, in spite of obtaining degree/diploma by him/her before joining the service.

(2) DEMONSTRATORS .—

- (a) **Six seats are reserved for Demonstrators working in Gov-Autonomous medical colleges will be made available at the time of counselling. Demonstrators who have completed five years of regular service as on 30/04/2014 are eligible. They have to submit NOC from their employer at the time of scrutiny and they have to execute a bond of Rs. 10.00 lac to serve the medical education department for five years after completing P.G. course compulsorily. The decision of medical education department to decide the post & place of posting will be final. The Medical Education department reserves all the rights related to posting and promotion. The candidate has no rights to apply for posting/promotion as per his/her choice. In above context The Demonstrator has to deposit an Affidavit to that effect compulsorily at the time of counselling.**
- (b) **The maximum age limit for the selection of demonstrators should not be more than 45 years for male candidate on 30th April of the year of admission and for female candidate the age limit should be 50 years**

9. Examination and Merit list:-

- (1) The merit list based on the result declared by NBE 2014 for MD/MS/Diploma courses and results declared by AIIMS for MDS Courses will be considered.
- (2) Candidates can give option at the time of seat allotment for admission in either Govt. Autonomous Medical/Dental College as per his/her eligibility or private medical/dental college.

The option may be given as below.—

- (a) Govt. Autonomous Medical/Dental College.
 (b) Private Medical/Dental College.
 (c) Both of them as above.
- (3) In-service candidates/ Demonstrators will be selected on the basis of AIPGMEE 2014. In-service candidates/ Demonstrators shall have to secure minimum qualifying marks in the AIPGMEE/AIPGDEE 2014 as prescribed in these rules for admission. A separate eligibility and merit list of successful in-service candidates/ Demonstrators will be prepared.
- (4) **All in Service Candidates will submit their application along with Marksheet to Commissioner Health Services. Commissioner Health Services will prepare a common merit list of all the in**

Service Candidates. Commissioner Health Services will add additional awarded marks for rural service on the basis of calculation as given below.

Demonstrators will send their application to DME through Dean of the concerned autonomous government medical college.

(4.1) Medical Officer

The inter-se merit of the successful In service candidate shall be fixed up by adding marks of weightage for their services rendered in rural areas. The candidates serving in rural area will get maximum of 50 marks, allotted on the following basis:-

- (a) For Government service of one year duration while posted in rural area a weightage of maximum 06 marks will be given . For the service in rural area , the maximum gain of marks will be 30 or 20 as per following marks for one year each, for five years.
- If such services are rendered in Primary Health Centre or Community Health Centre situated in rural area, then 06 marks will be given for one year and if regular services are rendered in Primary Health Centre or Community Health Centre in Nagar Panchayat Area, which has been formed under the "Municipalities Act, 1961" then 04 marks will be given for one year .
- (b) For every year of such service, additional marks will be given , if the rural area comes under tribal sub plan and if such services are rendered in Primary Health Centre the candidate will get maximum 20 additional marks at the rate of 04 additional marks per year for five years and for rendering such services at community health center, the candidate will get total additional 10 marks at the rate of 02 marks per year for five years.
 - (b.1) For service rendered in rural areas/notified areas by female In service candidates two additional marks will be given for each year of service.
 - (c) For the purpose of this rule, the period of service of candidate while posted in rural area are notified area and if he/she was on unauthorised absence from duty/any dies-non period/any period of leave without pay/any period of training exceeding three months/attachment in urban area during the tenure of rural service will not be counted for the purpose of calculation of marks for weightage of rural service.
 - (d) The final merit list of In service candidates will be prepared on the basis of marks obtain in entrance examination and marks secured for weightage of rural/tribal area service (Equivalent to maximum 50 marks) given by Director of Health Services.
 - (e) In case of two or more candidates obtaining equal marks, the inter-se merit will be decided as per procedure described in sub- rule (2) of rule 19.
 - (f) The counselling of In- service candidates will be done by the Medical Education Department .

(4.2) Other departments shall send the name of the in-service Medical officers with the departmental remarks to the commissioner Health services Govt. of M.P. Commissioner Health services will add the names of these applicants to the list of in service candidates and will send it to the Director Medical Education.

(5) Demonstrators -There is no provision of giving marks for service separately. On the basis of marks obtained in AIPGMEE 2014 the separate category wise merit list will be declared by Director Medical Education for counselling.

(6) Scrutiny of documents.—All the in-service candidates/Demonstrators have to produce their documents in the desired format to the scrutiny committee. At the time of scrutiny in-service candidates/demonstrators have to produce no objection certificate and at the time of admission sponsorship certificate from the employer. In addition Demonstrators will have to submit an affidavit stating

that after completion of their P.G. course they may be posted in any of the Govt. Autonomous Medical College by the department of medical education.

10. Return to the Department after completing the course.— The normal term for PG degree is 36 months and for Post Graduate diploma is 24 months. Candidates completing the tenure will have to go back to their Parent department irrespective of their status of the examination whether they have passed or not. No extension to continue the studies shall be granted under any circumstances. **It is compulsory for the candidate to undergo the extra training equivalent to the maternity leave period. No stipend / Salary will be paid for this duration.**

11. Fee, Bond etc.— Selected candidates except In-service/Demonstrator, non-service candidates will have to submit a Bond as per Government instructions i.e. Rs.10.00 Lac. for postgraduate degree and Rs.8.00 Lac. for Diploma courses for serving under the State Government for 1 years after completing PG degree / Diploma Course. All Deans of autonomous colleges will provide the list, to the Commissioner, Health Services, of candidates who are appearing for University exams from their institute at least three months before the start of examination. They will also provide list of successful PG candidates. The Commissioner, Health Services will issue appointment orders to such successful candidates within three months after declaration of the result, failing which the Bond filled by candidate will automatically be deemed as cancelled.

However, such Doctors will have to work under the State Govt. as directed.

However as per order no. F-4-7/2010/1/55 dt. 25.8.2010 Ministry of Medical Education Govt. of M.P., the U.G./P.G. student who have been selected in autonomous Dental/Medical colleges on the post of Asstt. Prof/S.R./J.R./Demonstrator, will be exempted from the rural service bond /notified areas service bond, on the condition that they will serve the institution in which posted for the duration equivalent to the bond period. Candidate leaving the job before completion of above duration will have to serve in Rural/Tribal Area for remaining period.

The Original documents of the candidate will remain deposited with the Dean/Head of the Institution of the Concerned College for the entire duration of his Bond-Period & will be released only after successful completion of Bond conditions.

If a candidate wants an exemption from Bond then as per order passed by Hon'ble High Court, Bench, Indore in W.P. No. 11677/2010 and others, he/she has to deposit the amount of bond money in the autonomous account of the concerned college. The Dean will be competent authority for the same. If a student wants to pursue higher education then he/she will have to deposit a Bank Guarantee equivalent to the amount of bond money in the concerned college. His/her original documents will be returned only after he/she has deposited the above mentioned Bank Guarantee. Candidate will have to complete his/her mandatory rural service, after completion of higher education. Bank Guarantee will be returned only after completion of rural service, else Bank Guarantee will be forfeited.

12. Fee Structure.— Every Candidate including In-Service/Demonstrator Candidates shall have to pay regular fee as detailed below.—

1. TUITION FEE (Degree)	Rs.35,000/- Per Annum.
2. TUITION FEE (Diploma)	Rs.35,000/- Per Annum.
3. HOSTEL FEE	Rs.10,000/- Per Annum.
4. STUDENT FUND	Rs. 500/- Per Annum.
5. CAUTION MONEY (Refundable)	Rs. 3,000/-
6. SECURITY DEPOSIT (Refundable)	Rs.10,000/-

12.1 Fees Refund.— Student admitted through All India Quota or State Quota and who submits in writing for leaving that seat to his respective college authority before Seven days of last Counselling of State Quota shall be refunded the deposited fees after deducting 10% of the Annual Tuition Fees. No application for such refund will be considered after that period & the deposited fees will not be refundable. (This scheme will be equally applicable to the candidates taking admission within the state as well as outside the state.)

In case of re-allocation of seat in other Government/Private Medical/Dental College, 10% of the deposited Annual Tuition Fees ((Maximum Rs. 25000) will be deducted & remaining amount will be refunded to the candidate.

13. Security Deposit .— (1) Candidate will deposit Rs. 10,000 as security deposit in the form of a demand draft payable to Director, Medical Education, Madhya Pradesh, Bhopal at the time of counselling.

Provided that a candidate who belongs to Scheduled Caste / Scheduled Tribe category whose parents/ Guardians income does not exceed Rs. 3.00 lacs per annum from all sources shall not make any security deposit. Provided that other Scheduled Caste / Scheduled Tribe candidates, whose parents/guardians income exceeds Rs. 3.00 lac per annum from all sources and all candidates belonging to Other Backward Classes category shall be required to deposit only Rs. 2,000/- as security deposit.

(2) The amount of security deposit shall be refundable without interest after successful completion of the course. In case a candidate does not join the allotted course, subject and institution or discontinues the study in a course and leaves college before completion of the course due to any reason, his/her claims on security deposit shall be forfeited.

14. Eligibility.— (1) Minimum qualifying marks obtained out of total maximum marks in AIPGMEE/ AIPGDEE-2014 to be eligible shall be as given below:—

- | | | | | |
|----------------------------|-----|-------------|---|-----|
| (a) Unreserved- | 50% | (b)Reserved | - | 40% |
| (c)Handicapped unreserved- | 45% | | | |

(2) The Candidate must be a bonafide resident of Madhya Pradesh.

Any one of the following conditions will be deemed to be included as bonafide resident of Madhya Pradesh :—

- 2.1 Living in M.P. continuously since not less then 15 years.
- 2.2 Living in M.P. continuously since last 10 years and having immovable property in Madhya Pradesh./ Industry/ Business in M.P.
- 2.3 An employee/retired employee of Govt- of M.P.
- 2.4 An employee/retired employee of a Institution/ Corporation/ Board/ Commission under Govt.of M.P.
- 2.5 An employee of Government of India who is posted in Madhya Pradesh since last 10 years
- 2.6 An officer of All India services belonging M.P. cadre.
- 2.7 **A person appointed in Madhya Pradesh by Hon'ble President of India/ Hon'ble Governer of M.P. on Constitutional/Legal post.**

Note (In case of above 2.1 to 2.7 the candidate must have the M.P. Bonafide resident certificate issued by the competent authority.)

- 2.8 The candidate must have passed all MBBS/BDS examinations from Medical / Dental College of Madhya Pradesh.
- 2.9 The candidates who are bonafide residents of Madhya Pradesh but they have passed M.B.B.S. course from outside M.P.should be recognized by Medical Council of India, New Delhi. This will also be applicable to those candidates to be selected for Master of Dental Surgery course.
- 2.10 Medical officers nominated by any Department of the Government of Madhya Pradesh (In - service candidates).
- 2.11 Demonstrator working in Govt-Autonomous institution under Dept. of Medical Education M.P.

(3) All admitted P.G. Medical students should be registered with M.P. State Medical Council/ M.P. State Dental Council to practice in the State of Madhya Pradesh. Else action will be taken for cancellation of admission.

- 3.1 Selected candidates who are not registered with M.P. State Medical Council must submit a copy of receipt of M.P. Medical Council registration fee & application within one month of allotment of P.G. seat.
- 3.2 Candidate should have completed compulsory internship from M.C.I. / D.C.I. recognized institution on or before 31st March, 2014.

(4) No candidate including In-service candidate/Demonstrator will be entitled for doing post graduation for a period of 3 years, if a seat was allotted to him/her through All India or State Pre P.G. Entrance Examination and he/she did not join or joined and left the seat thereafter, due to any reason during the last three years preceding 2013. In addition, a candidate who has obtained Post Graduate degree/diploma will not be eligible for three/two years from the date of completion of such course, respectively.

(5) Such candidates who have been given admission through All India Quota in P.G. Courses in M.P. State on the basis of their All India merit in AIPGMEE 2014 & have also been selected in AIPGMEE 2014 merit list for M.P. State shall also be eligible to participate in M.P. State counselling. But the candidate will have to vacate the All India seat if he/she opts for M.P. State seat.

(6) It is mandatory for the candidate to be present in person at the time of counselling with all necessary original documents. All such eligible candidates who have already taken admission in any Medical/Dental college have to produce a certificate from the Dean/Head of the Institution at the time of scrutiny, stating the names of the original documents deposited with the institution.

The certificate should not be more than three months old. The candidate has to compulsorily deposit all his/her original documents within the stipulated time period given on the allotment letter for the admission else the allotment of the seat will be deemed cancelled and this seat will be included in the next round of counselling treating it as a vacant seat

Such candidate to whom this seat was allotted will be declared not eligible for the subsequent rounds of counselling.

All other candidates except the candidates who are admitted in M.P. State Government Autonomous Medical/Dental Colleges after re-allocation will have to produce all original documents to participate in the last round of counselling.

Note.— Vide Govt. of Madhya Pradesh, Medical Education Department order No. F-5-15/03/55/ME/1 dated 26/12/2003 the bonded student admitted to MBBS course who have qualified in AIPGMEE 2014 have to produce no objection certificate from Director of Health Services /Director of Medical Education than only they will be given admission in P.G. courses.

15. Merit List :-

- (1) Counselling will be done on the basis of merit list based on the result of AIPGMEE/AIPGDEE-2014, in which minimum qualifying marks for eligible candidates will be as follows:—
 - (a) Unreserved- 50% (b) Reserved - 40%
 - (c) Physically Handicapped unreserved- 45%
- (2) Only earmarked seats will be available for physically handicapped candidates in Government Autonomous Medical/Dental College.
- (3) Separate merit list category wise shall be made of in-service candidates after adding the qualifying marks scored in AIPGMEE 2014 common entrance test and marks allotted by the Directorate of Health Services. Counselling will be done on the basis of final merit list of in-service candidates.

(4) Merit list of the Demonstrator will be prepared separately.

16. COUNSELLING.— Detailed programme of counselling will be published separately. Procedure for counselling will be as follows:—

- (1) First and second round of counselling will be on line, and the third round of counselling and the counselling for the left out seats will be offline.
- (2) Candidate has to register himself/herself with M.P. Online Candidate has to pay registration fee Rs. 500, Portal fee Rs. 30 and Rs. 100 at the time of choice locking. This amount may be deposited by the candidate in the authorised Kiosk of M.P. Online or can be paid through
 - Internet Banking
 - ATM cum Debit card
 - Credit card

Note:— The candidate has to deposit Rs. 530 at the time of registration and Rs. 100 at the time of choice locking.(in total Rs. 630).

- (3) Registration will be only once for both the Govt. Autonomous and Private Medical and Dental College.
- (4) If a candidate fails to register himself/herself due to any reason in the 1st round of counselling, He/She may get himself/herself registered during the second round of counselling, but He/She will be eligible for seats available at that time on the basis of merit cum choice.
- (5) After registration candidate has to get his/her original documents scrutinised at the place of counselling.
- (6) After scrutiny candidate has to fill choices for seat allotment online. The candidates who have filled their choices online in the first round of counselling will be eligible to fill their choices again in the second round of counselling.
- (7) Such candidates who do not want to fill their choices for the available subjects/colleges, they can give the option of opt for waiting.
- (8) After choice filling it is compulsory for the candidate to take admission on the allotted seat., else the candidate will not be eligible for the subsequent rounds of counselling. It is expected from the candidates to fill their choices carefully.
- (9) After declaration of the result of allotment, candidate must obtain printout of his/her allotment letter by using the password provided by the M.P. online at the time of registration.
- (10) Candidates eligible for subsequent round of counselling will be as follows:-
 - (a) Admitted candidates of previous rounds of counselling
 - (b) Those eligible candidates who have not been allotted any seat in the previous rounds of counselling.
 - (c) Those eligible candidates who have given "Opt for waiting option" in the previous rounds of counselling.

Note:—(i) Such candidates who have not registered themselves in the first round of counselling can get themselves registered only in the second round of counselling.

(ii) candidates who have registered themselves in the first and second round of counselling will only be eligible to participate in the third round of counselling and for left out seats.

- (11) If a candidate after taking admission on the allotted seat resigns due to any reason then he/she will be considered not eligible for the subsequent round of counselling for Govt. Medical/Dental colleges and Private Medical/Dental colleges.
- (12) Candidate has to be physically present, and also must present original documents at the time of counselling.

- (12)(a) Such eligible candidates who have already taken admission in all India or any other state Medical/Dental College will have to produce a certificate issued by the Dean/Institute Head in which it should be mentioned that all documents have been deposited with them. This certificate should not be more than three months old. Such candidates will have to deposit original documents compulsorily within the stipulated time limit, otherwise their admission will be treated as cancelled and the vacant seat will be shown in the next round of counselling. and also such candidate will not be eligible for next rounds of counselling.
- (12) (b) Institute head will issue a certificate to the candidate regarding the number of original documents deposited by the candidate in the first round of counselling. The candidate can use this certificate in the counselling of other institutes outside the State. If the institutes are not satisfied with this certificate then the candidate will be given time to deposit original documents immediately before commencement of second round of counselling. the last date for deposition of fees for first round will remain 07 April 2014.
- (13) In the Third round offline counselling and the offline counselling for the left out seats in the Govt.-Autonomous/Private Colleges the candidate will have to deposit full annual fee and all original documents at site of counselling compulsorily otherwise they will not be allotted seat.
- (14)
- (i) For the reverted State quota seats from All India quota only those candidates will be eligible who have will allotted seats in the earlier round, such registered candidates who have not been allotted any seats in the earlier rounds and those candidates who have given the option "Opt for waiting".
 - (ii) In service candidates (Medical Officers) and demonstrator will be eligible in their own category for seat allotment.
 - (iii) The vacant seats of In service candidates and demonstrator will be filled up by the open candidates of same category.
 - (iv) In case of vacant Physically handicapped seats it will be filled up by the open candidate of same category.
 - (v) Reserved category candidates will have to submit income certificates of 2013-14 at the time of scrutiny. as per M.P. Govt. G.A.D. department letter no. C/3-11/1/3/2010 dated 7-9-2010, Tehsildar/Nayab Tehsildar of their respective jurisdiction. In case of non presentation of income certificate the candidate will have to deposit security deposit of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only)
 - (vi) Reverted degree/diploma seats from All India quota made available to the state will be distributed in proportion to the State quota seats according to the M.P. Govt. reservation policy for all the categories i.e. In service and the open category by "Draw of lots". In case of dispute regarding no. of seats in any category, highest fraction will be considered and weightage will be given .
 - (vii) Any candidate who has been allotted a seat and College once will be eligible for re allotment on the basis of his/her merit. Such candidates will have to complete the admission process within the stipulated date by depositing the fee in concern college.

In case re allotment in Govt./Private Medical and Dental College 10% (Maximum 20000) of annual tuition fee will be deducted and remaining amount will be refunded to the candidate.

17. **Admission .—** The candidate who has been allotted a subject, course and college during the counselling has to report to the Dean/Principal of the College within the specified date and time.

(1) Admission Committee consisting of Dean/Principal, Two Professors and Two Medical Teachers of the reserved categories will verify the original documents and if found eligible then will give admission to the candidate in the allotted subject, course and college.

(2) Once admitted under All India or State quota candidate has to deposit all original documents in the concern college, A certificate to this effect will be issued to the candidate.

- (2.1) After taking admission on the All India or State quota allotted seat candidate has to submit an affidavit stating that he/she will complete the course and will submit a seat leaving bond. Stating that if he/she resign on the seat due to any reason on the date of commencement of last round of counselling or thereafter and before the completion of the course he/she will have to deposit Rs. 5 Lacs to the Autonomous committee of concern College as financial penalty or else it will be recovered as land revenue arrear. Only after that original documents will be returned.

The admitted candidate Degree/Diploma Course will not be eligible for Pre P.G. Counselling for 3 years and 2 Years respectively.

(3) The candidate admitted on All India or State quota will have to complete the rural Service bond or will have to deposit bond amount. The original documents will be returned only on submitting the no objection certificate from the Director Public Health and Family welfare Department .

(4) Candidate will not be eligible for any change in the subject, course, category and college on any ground after the seat allocation or re allotment after the last round of counselling.

(5) In compliance with the Hon'ble Supreme Court order, no candidate will be admitted in P.G. Course after 10th July 2014. As per Hon'ble Supreme Court Judgment dated 11-09-02 MCI Vs Madhu Singh and Others and read with Dr. Faraz Naseem Vs Union of India and Others, WP No. 433/2013 dated 14-03-2014

The further necessary action will be taken according to the direction or order issued by Hon'ble Supreme Court from time to time.

(6) The candidate who fails to take admission by the last date of admission or leave the seat before the last date after taking admission or remains absent continuously for 30 days without the permission of head of the institutions or resigns from the seat after taking admission then his/her claim will be forfeited and his/her allotment/admission will be treated as cancelled and the candidate will be declared not eligible to participate in the further rounds of counselling.

(7) Complete process of scrutiny and admission will be videographed showing the details of complete process of scrutiny and admission. 3 copies of CD of the Videography will be prepared one each will be deposited with Dean of the Concerned College, Director Medical Education and Registrar of the Concerned University. The Videography at the time of admission will be the responsibility of concerned Dean and at the time of scrutiny, the responsibility will be that of Dean, Gandhi Medical College Bhopal.

(8) The list of admitted candidates in Govt. Autonomous Medical/Dental Colleges will be provided to the Director Medical Education by the Dean/Principal of the concerned college after every round of counselling. This list will also be displayed on concerned College website and notice board and will also be displayed on D.M.E. website.

(9) A committee will be constituted under the Chairmanship of Director Medical Education for every round of counselling to supervise the counselling process. The Joint Director Medical Education will be the Coordinator and Nodal Officer, and will be responsible for complete admission process as per rules.

(10) At the time of scrutiny and admission, finger prints of all fingers of both hands of the candidates will be taken and Dean/Principal will ensure it.

(11) The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. The information in this regard will be available in the website of Director Medical Education and it will not be published separately. Therefore it is advised to the candidate to be in continuous contact with the Director Medical Education Website www.medicaleducation.mp.gov.in.

18. Interpretation of Rules.— The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendment relating to them, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

19. **Repeal and Saving.**—The Madhya Pradesh Medical and Dental Post-Gradate Courses Entrance Examination Rules, 2013 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

S.S. KUMRE, Dy. Secy

P.G - 2014

RULES

FOR
ADMISSION TO POST GRADUATION IN
PRIVATE DENTAL AND MEDICAL COLLEGES
OF MADHYA PRADESH

BY

DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH,
BHOPAL(M.P.)

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION
6TH FLOOR , SATPURA BHAWAN, BHOPAL
MADHYA PRADESH
TEL- 0755-2551719, 2550186
FAX-0755-2551719
Website- www.medicaleducation.mp.gov.in

Bhopal, the 22nd March.2014

No. F-5-300/2013/1/55 The State Government, hereby, makes the following rules relating to entrance to Post Graduate Medical (MD & MS) Course, Post Graduate Medical Diploma and Post Graduate Dental (MDS) Course in Private Unaided Medical and Dental Colleges in the State of Madhya Pradesh. These rules are subject to the final order to be passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP (Civil) 4060/09 and other similar petitions which are under adjudication.

RULES

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the “Madhya Pradesh Private Medical and Dental Post Graduate Course Admission Rules, 2014”.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette and shall remain in force for the academic year 2014-15.

2. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007),
- (b) “AIPGMEE” means the All India Post Graduate Medical Entrance Examination.
- (c) “College” means **Private** Medical or a Dental College in the State of Madhya Pradesh;
- (d) “Examination” means the AIPGMEE-2014 conducted by the National Board of Examination, New Delhi. AIPGDEE-2014 Organised by AIIMS New Delhi.
- (e) “Other Backward Classes” means Other Backward Classes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (f) “Scheduled Castes” means Scheduled castes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (g) “Scheduled Tribes” means Scheduled Tribes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (h) “Government” means Government of Madhya Pradesh;
- (i) “MCI” means Medical Council of India;
- (j) “DCI” means Dental Council of India;
- (k) “Admission and Fee Regulatory Committee” means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;
- (l) “Competent Authority” means any Authority as authorized by the State Government in this behalf:

3. General.—(1) PG Degree and Diploma courses will be governed and regulated by MCI / DCI / University / State Government / Government of India / College under the rules and regulations in force as amended from time to time at the time of entrance examination, allotment, admission, as the case may be;

(2) PG courses are full time courses for a period of three years in case of Degree and two years in case of Diploma from the date of admission. Students shall not be allowed to do private practice, part time job or any other job during the entire period of study.

(3) Correct information must be furnished and produced by the candidate whenever required. The candidate must compulsorily register himself/herself at the site of counselling. Candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and fill up complete and correct required information in the scrutiny form and enclose required documents, failing which the applicants shall not be entitled to allotment and admission etc.

(4) Candidates must bring his/her 30 copies of same photographs at the time of admission, which he/she had attached along with his/her, AIPGMEE/AIPGDEE 2014 Application Form.

Specification for Photograph :

- A photograph of minimum 35x45 mm with at least 75% coverage of face & head of the candidate.
- A caption indicating name of candidate and date of taking photograph should be there at the bottom of photo.
- Photograph would be taken in a white/very light coloured background.
- The photograph needs to display full front view of the face. Please look directly into the camera with a neutral expression.
- Please avoid photograph with reflection or shadow on the face with red eyes.
- The photograph needs to be printed on a high quality paper with at least 600 dpi resolutions.
- The colours must possess the natural appearance and skin tone.
- The photograph must not have kinks, scratches and stains.

(5) If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the application form at the time of conduct of entrance examination/ allotment of a seat/after allotment of seat at the time of scrutiny of the documents and at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the College at any time during his/her studies. and FIR will be lodged against the candidate.

(6) All dispute related to admission to PG Courses shall be decided by the Director, Medical Education, Govt. of M.P.

4. (1) The Students shall be entitled to :-

- (a) One weekly off (non cumulative);
- (b) Casual leave for 19 days per academic year.
- (c) Entitlement of Maternity leave without stipend during the entire tenure shall be 90 days only with prior permission of the Dean/Principal. Medical certificate must be produced within ten days of proceeding on leave.

(2) As per Madhya Pradesh Government order No.147/4572/03/55/M.E.-1, Dated 14-01-04 Medical leave shall be 15 days per year without stipend with prior permission. Sickness Certificate has to be produced within 10 days after proceeding on leave. Medical leave can be availed every year and nocarry forward of this leave will be allowed. (Non Cumulative)

(3) Students found guilty of misconduct, indiscipline and unauthorized absence shall be liable to disciplinary action including expulsion from College by the Dean / Principal and cancellation of registration by the University. **If a candidate remains unauthorisedly absent, without permission for 30 days then his/her admission will be treated as cancelled automatically.**

5. Reservation.— Institution shall be allowed to fill up to 15% of the sanctioned seats by NRI candidates only, in the manner prescribed by the Admission and Fee Regulatory Committee before the Counselling. As permitted by Hon'ble Supreme Court vide order dated 24.01.2014 in petition No. 4060/2009 dated 27.5.2009 50% of

remaining 85% seats will be filled by Govt. of M.P. on the basis of merit list declared by AIPGMEE 2014 exam. conducted by National Board of Examination, New Delhi and AIPGDEE-2014 Organised by AIIMS New Delhi. Out of above Govt. of M.P. quota seats 20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled tribes of M.P. 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled castes of M.P. and 14% seats are reserved for candidates belonging to other backward classes other than creamy layer of OBC of Madhya Pradesh or as amended from time to time.

(1) Reservation for woman candidates shall be 30% according to merit cum option in each category.

(2) The qualifying marks in AIPGMEE 2014/ AIPGDEE-2014 examination for eligibility for admission to Post Graduate Medical and Dental courses shall be 40% for SC / ST / OBC candidates and 50% for unreserved category candidates and 45% for physically handicapped candidates of unreserved category.

(3) The candidate claiming to be a candidate belonging to SC / ST / OBC (Non Creamy) category of Madhya Pradesh shall have to furnish all details of permanent caste certificate issued by the Competent Authority of M.P. Govt. and the original certificate has to be produced at the time of Scrutiny.

(4) For Physically Handicapped persons who are bonafide residents of Madhya Pradesh and who belongs to ST, SC, OBC and Unreserved category, three percent (3%) seats are reserved for admission to P.G. courses.

The candidate claiming admission against these seats will have to produce a valid certificate, in the prescribed form from District Medical Board and eligibility certificate from superintendent vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. However it will be governed by guideline framed by MCI. Separate merit lists will be prepared for handicap candidates with 50-70% of disability and candidates 40 to below 50% of disability of lower limb. Priority will be given in the seat allotment to the candidates having 50-70% disability to lower limb as per MCI guide lines.

Following disabilities are not eligible—

1. Upper limb Handicapped
2. Visual Handicapped
3. Hearing Handicapped
4. Lower limb more than 70% Handicapped

6. Fee Structure :

(a) For MDS Courses

As will be decided by Admission and Fee Regulatory Committee

(b) For MD/MS/ Courses

As will be decided by Admission and Fee Regulatory Committee

7. SECURITY DEPOSIT :

As will be decided by Admission and Fee Regulatory Committee

8. ELIGIBILITY :

(8.1) The Candidate must be citizen of India

AND

The candidate must have passed all MBBS/BDS Examinations from any recognized Medical / Dental College of India.

- (8.2) (i) Eligible Candidate must have undertaken studies in an institution recognized by MCI / DCI.
- (ii) Eligible Candidate must have completed compulsory internship from a MCI/ DCI recognized institution on or before 31.03.2014.
- Eligible Candidate must permanently be registered by Madhya Pradesh Medical/Dental Council (and /or MCI/DCI) before joining the allotted college.
- (8.3) Seats reserved for SC,ST,OBC Category candidates shall be allotted to the eligible reserved category candidates (SC,ST & OBC) of M.P. State only on the basis of merit, on submission of permanent caste certificate issued by the competent authority of M.P. Govt.
- (8.4) In case the eligible candidates to the extent of reservation in any category are not available, the vacant seats of that category will be filled up by making available to other categories as given below :—
- (a) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
- (b) The vacant seats of SC category shall be filled up by the eligible ST category candidates.
- (c) In case the eligible candidate to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
- (d) In case the eligible candidates are not available in these three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

9. Examination .— (1) AIPGMEE 2014 conducted by National Board of Examination, New Delhi. AIPGDEE-2014_ Organised by AIIMS New Delhi. shall be the basis for admission into Private Medical/ Dental Colleges of the State.

(2) A candidate has to give option at the time of allotment for:

- (a) Govt. Autonomous Medical /Dental College (B) Private Medical/Dental College (C) both, in case of candidate who are eligible for both.

10. Seats Available for MD/MDs.—The distribution of seats for MDS/MD/MS/ Courses to be filled through AIPGMEE 2014/AIPGDEE 2014 will be displayed at the time of counselling subject to permission by DCI/MCI/ Government of India. The State quota seats of 42.5% as per the orders of Hon'ble Supreme Court will be identified, communicated and allotted by the Director Medical Education.

11.(1) Merit List.— (a) A merit list will be declared which will consist of all successful candidates of Un reserved category and reserved category in AIPGMEE 2014/ AIPGDEE-2014. Eligibility criterion will be:—

- | | |
|---|-------|
| (i) For unreserved category | - 50% |
| (ii) For reserved category | - 40% |
| (iii) For Physically handicapped candidates | - 45% |

- (b) Merit lists of physically handicapped candidates will also be prepared category wise separately according to rule 5 (4)

12. Counselling .— Detailed programme of counselling will be published separately. Procedure for counselling will be as follows:—

- (1) First and second round of counselling will be on line, and the third round of counselling and the counselling for the left out seats will be offline.

- (2) Candidate has to register himself/herself with M.P. Online Candidate has to pay registration fee Rs. 500/-, Portal fee Rs. 30/- and Rs.100/- at the time of choice locking. This amount may be deposited by the candidate in the authorised Kiosk of M.P. Online or can be paid through
- (a) Internet Banking
 (b) ATM cum Debit card
 (c) Credit card

Note:— The candidate has to deposit Rs.530/- at the time of registration and Rs. 100 at the time of choice locking. (In total Rs. 630/-)

(3) Registration will be only once for both the Govt. Autonomous and Private Medical and Dental College.

(4) If a candidate fails to register himself/herself due to any reason in the 1st round of counselling, He\She may get himself/herself registered during the second round of counselling, but He\ She will be eligible for seats available at that time on the basis of merit cum choice.

(5) After registration candidate has to get his/her original documents scrutinised at the place of counselling.

(6) After scrutiny candidate has to fill choices for seat allotment online.

The candidates who have filled their choices online in the first round of counselling will be eligible to fill their choices again in the second round of counselling.

(7) Such candidates who do not want to fill their choices for the available subjects\colleges, they can give the option of “opt for waiting”.

(8) After choice filling it is compulsory for the candidate to take admission on the allotted seat, else the candidate will not be eligible for the subsequent rounds of counselling. It is expected from the candidates to fill their choices carefully.

(9) After declaration of the result of allotment, candidate must obtain printout of his/her allotment letter by using the password provided by the M.P. online at the time of registration.

(10) Candidates eligible for subsequent round of counselling will be as follows:-

- (a) Admitted candidates of previous rounds of counselling
 (b) Those eligible candidates who have not been allotted any seat in the previous rounds of counselling.
 (c) Those eligible candidates who have given “Opt for waiting option “ in the previous rounds of counselling.

Note:— (1) Such candidates who have not registered themselves in the first round of counselling can get themselves registered only in the second round of counselling.

(ii) candidates who have registered themselves in the first and second round of counselling will only be eligible to participate in the third round and counselling for left out seats.

(11) If a candidate after taking admission on the allotted seat resigns due to any reason then he\she will be considered not eligible for the subsequent round of counselling for Govt. Medical/ Dental colleges and Private Medical/ Dental colleges.

(12) Candidate has to be physically present, and also must present original documents at the time of counselling.

(12)(a) Such eligible candidates who have already taken admission in All India or any other state Medical/ Dental College will have to produce a certificate issued by the Dean/Institute Head in which it should be mentioned that what all documents have been deposited with them. This certificate should not be more than Three months

old. Such candidates will have to deposit original documents compulsorily within the stipulated time limit, otherwise their admission will be treated as cancelled and the vacant seat will be shown in the next round of counselling and also such candidate will not be eligible for next rounds of counselling.

(12)(b) Institute head will issue a certificate to the candidate regarding the number of original documents deposited by the candidate in the first round of counselling. The candidate can use this certificate in the counselling of other institutes outside the State. If the institutes are not satisfied with this certificate then the candidate will be given time to deposit original documents immediately before commencement of second round of counselling. The last date for deposition of fees for first round counselling will remain 07 April 2014.

(13) In the Third round offline counselling and the offline counselling for the left out seats in the Govt. Autonomous/Private Colleges the candidate will have to deposit full annual fee and all original documents at site of counselling compulsorily otherwise they will not be allotted seat.

(14)

- (i) In case of vacant Physically handicapped seats it will be filled up by the open candidate of same category.
- (ii) Reserved category candidates will have to submit income certificates of 2013-14 at the time of scrutiny, as per M.P. Govt. G.A.D. department letter no. C/3-11/1/3/2010 dated 7-9-2010, issued by Tehsildar/Nayab Tehsildar of their respective of jurisdiction. In case of non presentation of income certificate the candidate will have to deposit security deposit of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only)
- (iii) Any candidate who has been allotted a seat and College once will be eligible for re allotment on the basis of his/her merit. Such candidates will have to complete the admission process within the stipulated date by depositing the fee in concern college.

In case of re allotment in Govt./Private Medical and Dental College 10% (Maximum of Rs. 25,000/-) of annual tuition fee will be deducted and remaining amount will be refunded to the candidate.

13. ADMISSION : Director Medical Education will be the competent authority for the allotment of seats in Private Medical and Dental Colleges for State quota seats.

The candidate who has been allotted a subject, course and college during the counselling has to report to the Dean/Principal of the College within the specified date and time.

(1) Admission Committee consisting of Dean/Principal, Two Professors and Two Medical Teachers of the reserved categories will verify the original documents and if found eligible then will give admission to the candidate in the allotted subject, course and college.

(2) Once admitted under State quota, candidate has to deposit all original documents in the concern college, a certificate to this effect will be issued to the candidate.

(3) Candidate will not be eligible for any change in the subject, course, category and college on any ground after the seat allotment or re allotment after the last round of counselling.

(4) In compliance with the Hon'ble Supreme Court order, no candidate will be admitted in P.G. Course after 10th July 2014. As per Hon'ble Supreme Court Judgment dated 11-09-02 MCI Vs Madhu Singh and Others and read with Dr. Faraz Naseem Vs Union of India and Others, WP No. 433/2013 dated 14-03-2014

The further necessary action will be taken according to the direction or order issued by Hon'ble Supreme Court from time to time.

(5) The candidate who fails to take admission by the last date of admission or leave the seat before the last date after taking admission or remains absent continuously for 30 days without the permission of head of the institutions or resigns from the seat after taking admission then his/her claim will be forfeited and his/her allotment/admission will be treated as cancelled and the candidate will be declared not eligible to participate in the further rounds of counselling.

(6) Complete process of scrutiny and admission will be videographed showing the details of complete process of scrutiny and admission. 4 copies of CD of the Videography will be prepared one each will be deposited with Dean of the Concerned College, Director Medical Education, Registrar of the Concerned University and AFRC. The Videography at the time of admission will be the responsibility of concern Dean and at the time of scrutiny, the responsibility will be that of Dean, Gandhi Medical College Bhopal.

(7) The list of admitted candidates in Private Medical/Dental Colleges will be provided to the Director Medical Education by the Dean/Principal of the concerned college after every round of counselling. This list will also be displayed on concerned College website and notice board and will also be displayed on D.M.E. website.

(8) A committee will be constituted under the Chairmanship of Director Medical Education for every round of counselling to supervise the counselling process. The Joint Director Medical Education will be the Coordinator and Nodal Officer, and will be responsible for complete admission process as per the rules.

(9) At the time of scrutiny and admission, finger prints of all fingers of both hands of the candidates will be taken and Dean/Principal will ensure it.

(10) The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. The information in this regard will be available in the website of Director Medical Education and it will not be published separately. Therefore it is advised to the candidate to be in continuous contact with the

Director Medical Education Website www.medicaleducation.mp.gov.in.

14. Interpretation of Rules.—The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendments relating to them, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

15. Repeal and Saving.— The Madhya Pradesh Medical and Dental Post-Graduate Courses Entrance Examination Rules, 2013 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

S.S. KUMRE, Dy. Secy.